न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 98/2019
निर्णय दिनांक : 07/01/2022

1. मिश्रीलाल कुमावत पुत्र स्व. श्री मौहरी लाल कुमावत जाति कुमावत उम्र 96 वर्ष निवासी सिरोहियो की तलाई, ढाणी कुमावतान, ग्राम व कस्बा सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज.।

वादी

बनाम

1. नगर निगम जयपुर जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी पता–नगर निगम जयपुर मुख्यालय, पण्डित दीनदयाल भवन, एस. एम. एस. स्टेडियम के पास, लालकोठी, टोंक रोड़, जयपुर राज.।
2. नगर निगम जयपुर जरिये उपायुक्त जोन–सांगानेर पता–नगर निगम कार्यालय, नगर निगम रोड़, कस्बा सांगानेर जिला जयपुर राज.
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर पता–तहसील कार्यालय मैन बाजार, सांगानेर जिला जयपुर राज.।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा व सीमाज्ञान, पत्थरगडी अन्तर्गत धारा 88, 92–क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी की पैत्रक खातेदारी कृषि भूमि ग्राम व कस्बा सांगानेर तहसील जिला जयपुर राज. में स्थित है। जो वादी के पितामह भैरू वल्द मंगला जाति कुम्हार के नाम मौजा सांगानेर तहसील व निजामत राज सवाई जयपुर के राजस्व रिकार्ड मिसल हकीयत सम्वत् 1987 के खसरा नम्बर 2710 रकबा 09 बिस्वा व खसरा नम्बर 2712 रकबा 02 बिस्वा, के रूप में दर्ज व अंकित है। स्वर्गीय भैरू पुत्र मंगला के वादी के पिता मौहरी लाल पैदा हुए तथा मौहरी लाल के पुत्र के रूप में वादी मिश्रीलाल पैदा हुए, चूंकि वादी के पिता मौहरी लाल वादी के जन्म के दो–तीन महिने पहले ही स्वर्गवासी हो गये थे इसलिए उक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2710 रकबा 09 बिस्वा व खसरा नम्बर 2712 रकबा 02 बिस्वा, सहित भूमि खसरा नम्बर 2719 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 2797/3 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 2839 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 2840 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 2989 रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा व खसरा नम्बर 2528 रकबा 13 बिस्वा, किता 08 कुल रकबा 06 बीघा मौजा सांगानेर तहसील निजामत जयपुर के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी रजिस्टर सम्वत् 1993 से 2002 में वादी मिश्रीलाल वल्द मौहरी लाल के नाम खातेदार के रूप में राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हुई, जो मौजा सांगानेर की जमाबंदी सम्वत् 1995, सन् में भी खातेदार के रूप में वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें खसरा नम्बर 2710 रकबा 09 बिस्वा, व खसरा नम्बर 2712 रकबा 02 बिस्वा के यथा स्थान पर दौराने

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:52:37 IST
Reason: SelfAttested

विवाद्यक संख्या–02–

आया वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थयी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी है। उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार वादी है वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि के कब्जे के सम्बन्ध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श पी 1 लगायत 22 पेश की है जिससे वादग्रस्त भूमि का वादी के स्वामित्व की होना साबित है विधि का सुस्थापित सिद्वांत है कि कब्जा प्रथम दृष्टया स्वामित्व का सबूत है इसलिए उक्त विवाद्यक भी वादी के हक में विरूद्व प्रतिवादीगण तय किया जाता है।

विवाद्यक संख्या–03

आया वादी के वादपत्र में वादग्रस्त भूमि को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सुनवाई की क्षैत्राधिकारित सक्षम न्यायालय को प्राप्त नही है। उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या–01 व 02 पर है। सूस्थापित विधि के कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 207 के तहत खातेदारी अधिकारो की घोषणा करने उनको इन्द्राज दुरूस्ती करने का अधिकार केवल राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। इसलिए उक्त विवाद्यक प्रतिवादीगण के विरूद्व व वादी के हक में तय किया जाता है।

अनुतोष–

विवाद्यक संख्या–01, 02 व 03 वादी के हक में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व तय किये गये है। इसलिए वादी का डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद आंशिक रूप से डिक्री किया जाता है एवं वादी को हाल खसरा नम्बर 1677 रकबा 1.55 हैक्टे. वाके ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज. कि वादग्रस्त आराजी रकबा 0.14 हैक्टे. के बजाय आंशिक रकबा 0.06 हैक्टे. रकबे का साबिक पूर्व साबिक खसरा नंबर 2710 व 2712 के राजस्व नक्शा के अनुसार हाल राजस्व नक्शा के खसरा नंबर 1677 के यथासृजित स्थान पर खाली भूमि का काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादी संख्या–03 को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त आदेश की पालना में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरस्ती करे व उक्त हाल खसरे में नया बटा नंबर डालकर अलग से खाता व लगान कायम करे व मौके पर सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी करे तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उक्त वर्णित खसरा नंबर के वादग्रस्त हिस्से रकबा 0.06 हैक्टे. भूमि पर वादी के कब्जे काश्त, निर्माण, उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करे, कोई बाधा कारित नही करे, निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो पत्रावली दर्ज नबंर से कम होकर तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/01/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:52:37 IST
Reason: SelfAttested

(राजेश कुमार नायक)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयपुर–द्वितीय, (सांगानेर)
जयपुर